कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौसिंल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक / म.प्र.न.रजि.कौं. / 2019 भोपाल, दिनांक............ / 11 / 2019

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
समस्त नर्सिंग संस्थायें
मध्यप्रदेश।

<u>आमसूचना</u>

विषयः– नर्सिंग संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019–20 की मान्यता हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में ।

1. नर्सिंग संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्राचार्य का पद नहीं भरा गया है तो ऐसे आवेदन फार्म को अमान्य किया गया है। वह संस्था वर्ष 2019–20 की मान्यता संबंधी कार्यवाही से वंचित रहेगी।
2. दो या दो से अधिक नर्सिंग संस्थाओं द्वारा किसी समान फैकल्टी को अलग–अलग नर्सिंग संस्था में प्राचार्य या उपप्राचार्य या अन्य टीचिंग फैकल्टी के पद पर दर्शाया गया है। इस दशा मे उस संबंधित टीचिंग फैकल्टी के विरूद्ध पुलिस मे शिकायत (एफ.आइ.आर. संबंधी दिये गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।) एव एफ.आइ.आर. की कॉपी, संबंधित फैकल्टी का सैलरी स्टेटमेंट, शपथ पत्र और नई फैकल्टी (अर्हताधारी) को मूल दस्तावेजों के साथ दो दिवस के भीतर नर्सिंग कौंसिल कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत कर भौतिक सत्यापन करावें। इसके उपरांत ही उक्त नर्सिंग संस्था को वर्ष 2019–20 की मान्यता हेतु चिकित्सालय में बिस्तर आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा। यदि नर्सिंग संस्था द्वारा दिये गये प्रमाणित दस्तावेज आवश्यकतानुसार तथा सही नहीं पाये जाते है, तो उक्त नर्सिंग संस्था को वर्ष 2019–20 की मान्यता संबंधी कार्यवाही से वंचित किया जायेगा।
3. किसी नर्सिंग संस्था के शैक्षणिक संकाय में प्राचार्य की योग्यता संबंधी जानकारी संदिग्ध पायी जाती है, तो प्राचार्य को मूल दस्तावेजो के साथ कौंसिल कार्यालय में भौतिक रूप से प्रमाणित कराना होगा एवं योग्यता संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणित न करा पाने की स्थिति में संबंधित संस्था वर्ष 2019–20 की मान्यता संबंधी कार्यवाही से वंचित किया जायेगा।
4. किसी नर्सिंग संस्था के शैक्षणिक संकाय में उपप्राचार्य की योग्यता संबंधी जानकारी संदिग्ध पायी जाती है, तो उपप्राचार्य को मूल दस्तावेजो के साथ कौंसिल कार्यालय में भौतिक रूप से प्रमाणित कराना होगा। प्रमाणित न करा पाने की स्थिति में नर्सिंग संस्था को 2 लाख रूपये जुर्माने के रूप में नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में डी.डी. के माध्यम से भुगतान करना होगा एवं 2 दिवस में पृथक उपप्रचार्य (अर्हताधारी) की पदस्थापना कर नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन कराना होगा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः...2

5. अनुसूची–4 का नियम 4(4) शिक्षण संकाय के टिप्पणी कमांक 4 के अनुसार शिक्षण संकाय को अन्य राज्य में पंजीयन की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 6 माह में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। अतः मापदण्ड पूर्ण होने तक नर्सिंग संस्था को अस्थायी रूप से मान्यता दी जावेगी।
6. नर्सिंग संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि शिक्षण संकाय को अनुसूची–4 (नियम 4(4)) (अ) आवश्यक पद के अनुरूप नहीं दर्शाया गया है तो इस स्थिति में ऑनलाइन आवेदन को अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा एवं संबंधित नर्सिंग संस्था वर्ष 2019–20 की मान्यता संबंधी कार्यवाही से वंचित किया जायेगा।
7. नर्सिंग संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में शिक्षण संकाय को अनुसूची–4 (नियम 4(4)) (ब) आवश्यक अर्हताएं के अनुरूप नहीं दर्शाया गया है तो इस स्थिति में आवेदक संस्था द्वारा नर्सिंग कौंसिल कार्यालय भोपाल को 2 लाख रूपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उपरोक्त पद पर 10 दिन के भीतर अर्हताधारी फैकल्टी की पदस्थापना कर भौतिक रूप से प्रमाणित कराना होगा।
8. यदि किसी नर्सिंग संस्था द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किये गये है तो उक्त नर्सिंग संस्था द्वारा 2 लाख रूपये जुर्माने के रूप में नर्सिंग कौंसिल कार्यालय भोपाल में जमा कराना होगा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त संस्था द्वारा किये गये दो ऑनलाइन आवेदन में से किसी एक आवेदन को स्वीकार किया जावे। परन्तु 2 लाख रूपये जुर्माने का भुगतान न करने की दशा में आवेदक संस्था के दोनो आवेदनों को निरस्त किया जायेगा।
9. यदि किसी नर्सिंग संस्था द्वारा शिक्षण संकाय में फैकल्टी की पुर्नावृत्ति की गयी है तो ऐसी आवेदक संस्थाओं को 2 लाख रूपये जुर्माने के रूप में नर्सिंग कौंसिल कार्यालय भोपाल में जमा कराना होगा साथ ही उपरोक्त पद पर 2 दिन के भीतर अर्हताधारी फैकल्टी की पदस्थापना कर भौतिक रूप से प्रमाणित कराना होगा एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी अन्य संस्था में कार्यरत नहीं है।
10. नवीन नर्सिंग संस्थाओं का 30 दिवस के अंदर औचक निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
11. यदि नर्सिंग संस्था द्वारा एम0एस0सी0 पाठ्यक्रम हेतु कुल 25 सीट से अधिक सीटों के लिये ऑनलाइन आवेदन किया है तो ऐसी आवेदक संस्थाओं को एम0एस0सी0 पाठ्यक्रम की अस्थायी मान्यता (यदि उक्त संस्था योग्य पायी जाती है) दी जा सकेगी एवं 15 दिवस के भीतर संस्था के औचक निरीक्षण के उपरांत यदि संस्था आवश्यक मापदण्डों को पूर्ण करती है तो स्थायी मान्यता दी जा सकेगी। यदि नर्सिंग संस्था आवश्यक मापदण्डों को पूर्ण नहीं कर पाती है, तो एम0एस0सी0 पाठ्यक्रम की अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी जावेगी।
12. आयुर्वेदिक/नेत्रालय/होम्योपेथिक चिकित्सालयों को क्लिनिकल प्रशिक्षण हेतु मान्य नहीं किया जायेगा।
13. केन्द्र सरकार के अधीन नर्सिंग संस्था BMHRC को म0प्र0 शासन के अंतर्गत आने वाली नर्सिंग संस्थाओं के अनुरूप शिथिलता नहीं दी जायेगी।

कमशः........3

14. यदि किसी नर्सिंग संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं का चिकित्सालय नहीं दर्शाया गया है और उस संस्था को शासकीय चिकित्सालय में बिस्तर आबंटन हो जाते है, तो वह संस्था स्वयं के चिकित्सालय की संबंद्धता अन्य नर्सिंग संस्था को नहीं दे सकेगी। उस चिकित्सालय को वर्ष 2019–20 की मान्यता से वंचित रही नर्सिंग संस्थाओं के छात्र–छात्राओं को क्लिीनीकल प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जावेगा।
15. नर्सिंग संस्था द्वारा किराये की बिल्डिंग होने पर 10 लाख रूपये की बैंक गारण्टी दी जा रही है। यदि दी गयी बैंक गारण्टी वैध नहीं पायी जाती है तो ऐसी नर्सिंग संस्था की मान्यता समाप्त करते हुये उक्त नर्सिंग संस्था को 2 साल के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जावेगा।

30/11/19

रजिस्ट्रार,
म0प्र0 नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल